बी0पी0 सिंह, वन संरक्षक/निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 02.10.2020 को जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या —

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री ललित मोहन नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, ऊखीमठ रेंज, श्री मंगल सिंह नेगी, वन दरोगा एवं श्री विजय सिंह नेगी, वन दरोगा साथ में रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :—

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः—

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः—

1. वैकल्पिक संरेखण की तुलना में इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
2. यह संरेखण भू—वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज प्रजाति के 24 वृक्ष तथा अन्य प्रजातियों के 262 वृक्षों सहित कुल 286 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।

P.T.O.

3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।

4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।

5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

6. प्रस्तावित मोटर मार्ग पथरीले क्षेत्र में मुश्किल से उगे वनों से निकलता है, ऐसे में यदि मार्ग निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग किया जाता है तो आस–पास के वनों को भारी क्षति होने की सम्भावना है। इसके साथ ही क्षेत्र से लगे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के वनों में वन्यजीवों पर भी ब्लास्टिंग का कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मार्ग निर्माण के दौरान **डायनामाईट ब्लास्टिंग के स्थान पर साईलेंट (Silent) अथवा केमिकल ब्लास्टिंग को प्रयोग में लाया जाय।**

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 964 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 ऊखीमठ।

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

O/C

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 02.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री ललित मोहन नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, ऊखीमठ रेंज, श्री मंगल सिंह नेगी, वन दरोगा एवं श्री विजय सिंह नेगी साथ में रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 15-10-2020
स्थान–गोपेश्वर।

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

प्रारूप – 22

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **02.10.2020** को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									योग
					10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन	मैखण्डा II कक्ष 3 ए	बांज	Quercus leucotrichophora	06	02	–	01	01	–	–	–	–	10
2.		मैखण्डा II कक्ष 8 ए	बांज	Quercus leucotrichophora	02	03	01	03	02	01	02	–	–	14
योग :–					**08**	**05**	**01**	**04**	**03**	**01**	**02**	**–**	**–**	**24**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक / निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।